स सहाय
जिला–हनुमानगढ़
तारीख

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी–**प्रभजोत सिंह गिल** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:–447/2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या 88–53 आरटीए

1 गुरविन्द्र सिंह पुत्र माधो सिंह जाति जटसिख साकिन भगतपुरा तहसील संगरिया

– वादी

बनाम्

1. हनुमान प्रसाद पुत्र ईसर जाति बिश्नोई साकिन संगरिया तहसील संगरिया
2. जगजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन संगरिया
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
2. श्री गुरमीत सिंह कलसी– अधिवक्ता प्रतिवादीगण
3. राज पैरोकार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

<u>निर्णय</u>

दिनांक 07.08.2023

वादी गुरविन्द्र सिह द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। मुताबिक वाद पत्र के चक 1 एमजेडी के विवादित खाता सं. 105/40 में वादी गुरविन्द्र सिंह के नाम 2.227 है0, प्रतिवादी सं. 01 हनुमान प्रसाद के नाम 2.265 है0 व प्रतिवादी सं. 02 जगजीत सिंह के नाम 0.126 है0 है। उक्त रकबा मिलान करने पर उक्त काश्तकारों का रकबा योग 4.618 है0 है जबकि जमाबंदी में सम्पूर्ण खाते का योग 4.554 है. दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र व जवाबदावा में मुताबिक जमाबंदी खाता योग के, वादी व प्रतिवादीगण का रकबा सहमति के आधार पर विभाजन करने का निवेदन किया है ताकि विवादित खाता दुरूस्त हो सके व काश्तकारों के मध्य विभाजन कर रकम राज अलग कायम किया जा सके।

अतः सहमति विभाजन जमाबंदी में दर्ज कुल रकबे 4.554 है0 के आधार पर, अन्तर्गत धारा 88,53 के तहत स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार खाता व रकमराज अलग करने आदेश दिये जाते है–

* **वादी गुरविन्द्र सिंह वल्द माधोसिंह जटसिख की खातेदारी भूमिः–**

चक 1 एमजेडी प.न. 179/178 मु.न. 23 किला नं0 5/0.228 गै.मु./0.025, 6/0.228 गै.मु./0.025, 7–14–15/0.759, 16/0.228 गै.मु./0.025, 17–18/0.506, 25/0.228 गै.मु./0.025

* **प्रतिवादी सं. 01 महावीर प्रसाद पुत्र इसर राम जाति बिश्नोई की खातेदारी भूमिः–**

चक 1 एमजेडी प.न. 179/176 मु.न. 08 किला नं0 8–11/0.506, 12–13–18–19/1.012, 20/0.127 (किला नं. 11 के चिपता), 22–23/0.506

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जला-हनुमा...

प्रतिवादी सं. 02 जगजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह कुम्हार सिख की खातेदारी भूमिः–

चक 1 एमजेडी प.न. 179/176 मु.न. 08 किला नं0 20/0.126 (किला न. 21 के चिपता)

तहसीलदार संगरिया उक्तानुसार आदेश की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। रहन कब्जे के आधार पर किया गया है अतः रहन यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को खुले इजलास सुनाया गया। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी • संगरिया जिला हनुमानगढ़ •

(प्रभजोत सिंह गिल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला–

मूल वाद में डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:–**प्रभजोत सिंह गिल** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:–447 / 2022

1. गुरविन्द्र सिंह पुत्र माधो सिंह जाति जटसिख साकिन भगतपुरा तहसील संगरिया

– वादी

बनाम्

1. हनुमान प्रसाद पुत्र ईसर जाति बिश्नोई साकिन संगरिया तहसील संगरिया
2. जगजीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति कुम्हार सिख साकिन संगरिया
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस. के समक्ष इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिंह कलसी हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादी गुरविन्द्र सिंह की खातेदारी भूमि**:–चक 1 एमजेडी प.न. 179 / 178 मु.न. 23 किला नं0 5 / 0.228 गै.मु. / 0.025, 6 / 0.228 गै.मु. / 0.025, 7–14–15 / 0.759, 16 / 0.228 गै.मु. / 0.025, 17–18 / 0.506, 25 / 0.228 गै.मु. / 0.025 * **प्रतिवादी सं. 01 महावीर प्रसाद की खातेदारी भूमि**:–चक 1 एमजेडी प.न. 179 / 176 मु.न. 08 किला नं0 8–11 / 0.506, 12–13–18–19 / 1.012, 20 / 0.127 (किला नं. 11 के चिपता), 22–23 / 0.506* **प्रतिवादी सं. 02 जगजीत सिंह की खातेदारी भूमि**:–चक 1 एमजेडी प.न. 179 / 176 मु.न. 08 किला नं0 20 / 0.126 (किला न. 21 के चिपता) कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण का खाता अलग कर, रकम राज अलग से करने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज....XX.......नल....XX.......मुब्लिक....XX.....निल....XX.....बाबत्....XX.......निल....XX.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....XX.... अदा करें।

यह डिक्री आज दिनांक 07.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से जारी की गई। रहन दर्ज कब्जे के आधार पर किया गया है अतः रहन रकबा यथावत रहेगा।

(प्रभजोत सिंह गिल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

Web Copy - Not Official